न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी– **अभिमन्यु सिंह कुन्तल, आर0 ए0 एस0**

मुकदमा नम्बर– राजस्व प्रार्थना पत्रः– 24/2022 दायर तारीखः–11.10.2022

प्रभुसिंह पुत्र मगनसिंह उम्र 62 साल जाति राजपूत नि0 भोजपुरा कंला तह0 जोबनेर जि0 जयपुर राज0

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर।
2. केसरीदेवी पत्नि लालाराम उम्र 62 साल
3. मंगलाराम पुत्र भुवाना उम्र 80 साल
4. जितेन्द्र पुत्र हीरालाल उम्र 24 साल
5. संतोषदेवी पत्नि दयालाराम उम्र 43 साल
6. रुकमादेवी पत्नि हीरालाल उम्र 45 साल
7. दयाला पुत्र मूल्या उम्र 48 साल

समस्त जाति जाट निवासीयान मुरलीपुरा तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

8. जवाना पुत्र नरसाराम उम्र 75 साल
9. बंशीधर पुत्र नरसाराम उम्र 72 साल

समस्त जाति जाट निवासीयान भोजपुरा कलां तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

10. प्रभाती देवी पत्नि हनुमान उम्र 75 साल
11. सोहनीदेवी पत्नि बन्ना उम्र 55 साल

समस्त जाति अहीर निवासीयान विजयगोविन्दपुरा तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित– 1. श्री प्रेमचन्द भहडा – अधिवक्ता प्रार्थी
2. सरकार पैरोकार

निर्णय

दिनांक 28.06.2024

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थी की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी ख0न0 413/3 व 648/505 किता दो कुल रकबा 2.6934 है0 ग्राम भोजपुरा कलां तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी की खातेदारी में अंकित है इस प्रकार उक्त आराजी प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है जिस पर काबिज होकर प्रार्थीगण उक्त आराजी का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थी की आराजी ख0न0 414/3, 648/505 के नजदीक अप्रार्थी सं02 लगायत 11 की आराजी 413, 414/2, 647/414, 515/1 की आराजी है तथा अप्रार्थीगण सं02 लगा0 11 आयेदिन प्रार्थीगण से सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न कर

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

झगडा फिसाद पर आमादा रहे है तथा आराजी की सीमा संबंधित अनावश्यक विवाद उत्पन्न कर रखा है।

प्रार्थी ने अपनी खातेदारी की आराजी ख0न0 414/3 रकबा 2.5164 है0 की सीमा का सीमा ज्ञान करवाने हेतु नियमानुसार अप्रार्थीगण सं01 के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अप्रार्थी सं01 ने हल्का पटवारी को आदेश क्रमांक भू0अ0/21/2135 दिनांक 4/6/2021 को प्रार्थीगण की आराजी का सीमाज्ञान करने का आदेश हल्का पटवारी को प्रदान किया जिस पर हल्का पटवारी ने दिनांक 15/3/2022 को मौके पर जाकर प्रार्थीगण की आराजी ख0न0 414/3 का सीमाज्ञान कर रिपोर्ट तैयार की गई। इसके पश्चात संशोधित फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 28/3/2022 को बनायी गई।

प्रार्थी मुताबिक फर्द रिपोर्ट हल्का पटवारी दिनांक 15/3/2022 व 28/3/2022 के अनुसार प्रार्थी अपनी उक्त आराजी के पत्थरगढी करवाकर उसके आधार पर तारबंदी करवाना चाहता है जिससे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो सके और सीमा संबंधित कोई विवाद भविष्य में उत्पन्न नही हो। इसलिए अब प्रार्थीगण को अपनी उक्त आराजी की पत्थरगढी करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी जरिए रजि0एडी0 नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 11 के विरूद्ध बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

तहसीलदार जोबनेर द्वारा दिनांक 14.02.2024 को रिपोर्ट इस आशय की पेश की गयी कि ग्राम भोजपुरा कलां के आराजी ख0नं0 413/3 रकबा 2.567 नवीन खसरा नं0 (861/413, 862/413) तथा ख0नं0 648/505 रकबा 0.1770 हे0 में से नवीन खसरा नं0 861/413 एवं 862/413 केसरीदेवी पत्नि लालाराम जाति जाट तथा मंगलाराम पुत्र भुवाना जाति जाट के नाम राजस्व रिपोर्ट में दर्ज है। ख0नं0 648/505 प्रभू सिंह पुत्र मंगनसिंह हिस्सा सम्पूर्ण जाति राजपूत के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त आराजी पर प्रार्थी खातेदार का कब्जा काश्त है। उपरोक्त आराजी के आस–पास लगवा खसरा नं0 649/505, 505, 504, 412, 414/3, 414/2 स्थित है। जिनके खातेदार अप्रार्थीगण 2 लगायत 11 है। प्रार्थी की आराजी का हल्का पटवारी भोजपुरा कलां द्वारा सीमाज्ञान किया जा चुका है। तहसीलदार, जोबनेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 20.06.2024 के अनुसार खसरा नं0 414/3 रकबा 2.5164 हे0 भूमि पर प्रभुसिंह पुत्र मंगनसिंह के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। खातेदार का भूमि पर कब्जा काश्त है। खातेदार का उक्त भूमि की सीमाओं के संबंध में विवाद है।

वहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया तथा मुताबिक प्रार्थना पत्र के पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया बहस पर मनन् किया। तहसीलदार, जोबनेर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 14.02.2024 एवं 20.06.2024 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का अभिलेख में किसी प्रकार हक व अधिकार तय नही होते तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर (ग्रामीण)

क्रियात्मक आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा –111 व 128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नं0 414/3 रकबा 2.5164 हे0 वाके ग्राम भोजपुरा कलां, पटवार हल्का भोजपुरा कलां भू–अभिलेख क्षेत्र हिंगोनिया तह0 जोबनेर का भूमि सीमा जानकारी के लिये भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार मोमियाशीट/मदर मैप से पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक हिंगोनिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर विपक्षीगण को विधिवत सूचना देकर उन्हे मौके पर उपस्थित रहने हेतु अवगत करावे। नियमानुसार कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की जावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण भूमि का विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। कमिश्नर भू0अ0नि0 हिंगोनिया को पाबंद किया जाता है कि पत्थरगढी के दौरान प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर पडौसी खातेदारों का कब्जा होने की स्थिति में कब्जे की सुपुर्दगी करने संबंधी कोई कार्यवाही नहीं करें। साथ ही यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयो में स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नही किया जावे।

अतः भू0अ0नि0 हिंगोनिया जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार जोबनेर को पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

(अभिमन्यु सिंह कुन्तल)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर जयपुर